राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 2 अंक 323

मूल्य ₹5 .00, नई दिल्ली, बुधवार, 1 मई 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

कैंसर से जंग जीतने के करीब ऋषि कपूर

>> 10

जागरण हिंदी बेस्टसेलर की सूची में युवा लेखकों का परचम

जेएनएन, नई दिल्ली : दैनिक जागरण की मुहिम 'हिंदी हैं हम' के तहत जारी हिंदी बेस्टसैलर पुस्तकों की सातवीं सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में युवा लेखकों ने अपना परचम लहराया है। उनकी पुस्तकों को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। कथा श्रेणी में खासतौर पर युवा उपन्यासकारों की सार्थक और मजबूत उपस्थिति हिंदी लेखन के प्रति आश्वस्त करती है। कथेतर, कविता और अनुवाद श्रेणी में भी युवा लेखकों की पुस्तकें हैं। युवा लेखकों के अलावा गुलजार से लेकर रघुराम राजन जैसे वरिष्ठ लेखकों की पुस्तकें शामिल हैं। अनुवाद में भारतीय पौराणिक कथाओं को पाठकों ने खासा पसंद किया है। दैनिक जागरण हिंदी बेस्टसैलर सूची से हिंदी के पाठकों की व्यापक रुचि का पता भी चलता है जिसमें वे शायरी से लेकर इतिहास और अर्थशास्त्र की किताबें पसंद कर रहे हैं। चार श्रेणियों की सूची अगले चार दिनों तक दैनिक जागरण में प्रकाशित होगी।

(संबंधित खबर और बेस्टसैलर पुस्तकों की सूची पेज-7 पर)

अब राहुल गांधी को मांगनी ही होगी बिना शर्त माफी

बढ़ी उलझन ▶ कांग्रेस अध्यक्ष के हलफनामे से संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट

'चौकीदार चोर है' बयान का मामला, अब लिखित में देना होगा माफीनामा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राहुल की नागरिकता पर गृह मंत्रालय का नोटिस

नई दिल्ली : दोहरी नागरिकता को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गृह मंत्रालय ने राहुल को ब्रिटिश नागरिक होने के आरोपों पर स्थिति साफ करने को कहा है। इसके लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। गृह मंत्रालय ने यह नोटिस भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी की शिकायत पर जारी किया है। (पेज-3)

> राहुल को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से नहीं, बल्कि पूरी तरह गलत बयानी के लिए सार्वजनिक रूप से देश से भी माफी मांगनी चाहिए। – अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष

सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 'चौकीदार चोर है' बयान देने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कानूनी पेच में उलझते ही जा रहे हैं। राजनीति की खातिर वह सीधे तौर पर माफी मांगने से बचते रहे, लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद स्पष्ट हो गया है कि उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। हालांकि राहुल गांधी के वकील ने मौखिक रूप से तीन बार बिना शर्त माफी मांग ली, लेकिन अब लिखित में राहुल को माफीनामा पेश करना होगा। कोर्ट मामले पर 10 मई को फिर सुनवाई करेगा।

भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने याचिका दाखिल कर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला चलाने की मांग की थी। राहुल ने यूं तो गलती मान ली थी, लेकिन अब तक कोर्ट से माफी नहीं मांगी, बल्कि दो बार सिर्फ खेद ही जताया। खेद जताने के क्रम में लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण भी दिया और राफेल विवाद को जिंदा रखने की कवायद भी की। भाजपा और सरकार पर आरोप भी लगाए। जाहिर है कि चुनावी जंग के बीच राहुल माफी शब्द के इस्तेमाल से बचना चाहते हैं। लेकिन अब कानूनी फंदा कुछ इस कदर उलझ गया है कि बचना है तो शायद माफीनामा ही एक रास्ता है। मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, संजय किशन कौल और केएम जोसेफ की पीठ ने राहुल की ओर से पेश जवाब से असंतुष्टि जताई। कोर्ट ने कहा कि वह बताएं कि इस हलफनामे में वह क्या कहना चाहते हैं? जस्टिस कौल ने कहा, समझ नहीं आ रहा कि वह 21 पन्नों में क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं। किसी जगह वह गलती मान रहे हैं और किसी जगह आरोपों से इन्कार कर रहे हैं। इस पर सिंघवी ने कहा कि उन्हें पक्ष रखने का मौका दिया जाए।

सिंघवी ने मानीं तीन गलतियां : सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल राहुल गांधी ने तीन गलतियां की हैं और वह उसे स्वीकार करते हैं। पहली गलती यह कहकर की कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चौकीदार चोर है। दूसरी गलती, सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करने जा रहा है। तीसरी गलती, चौकीदार ने चोरी की है। उन्होंने कहा कि इन तीनों बयानों के लिए उन्होंने माफी मांगी है। वह इसके लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि ये शब्द उनके हलफनामे में कहां हैं। सिंघवी ने कहा कि खेद का मतलब माफी ही होता है। हलफनामे में उन्होंने माना है कि कोर्ट ने ऐसा कभी नहीं कहा है। अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं है तो वह सोमवार तक बेहतर हलफनामा दाखिल करेंगे।

अगर अभी बहस करोगे तो दूसरा मौका नहीं देंगे : इस पर प्रधान न्यायाधीश ने सिंघवी से कहा, वह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर वह इस हलफनामे पर बहस करते हैं तो फिर बाद में उन्हें दूसरा बेहतर हलफनामा दाखिल करने का मौका नहीं मिलेगा। सिंघवी ने कहा कि वह कोर्ट को पूरी तरह संतुष्ट करेंगे, लेकिन अगर फिर भी कोर्ट संतुष्ट नहीं होता तो उन्हें एक और हलफनामा दाखिल करने का मौका दिया जाए। हालांकि बाद में कोर्ट इस बात पर राजी हो गया। सिंघवी ने कहा, 'चौकीदार चोर है उनका राजनीतिक स्लोगन है और हलफनामे के दूसरे हिस्से में उन्होंने अपना राजनीतिक नजरिया बताया है।' इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट को उनके राजनीतिक नजरिये से कोई लेना-देना नहीं है। वह अपना राजनीतिक नजरिया अपने पास रखें। कोर्ट ने साफ किया कि वे सिंघवी के अनुरोध पर उन्हें एक और हलफनामा दाखिल करने का मौका दे रहे हैं।

जांच समिति की कार्यवाही से अलग हुई आरोप लगाने वाली महिला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- प्रधान न्यायाधीश पर अमर्यादित आचरण के आरोपों का मामला
- महिला ने कहा, जांच समिति से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) रंजन गोगोई पर लगे अमर्यादित आचरण के आरोपों की जांच के मामले में नया मोड़ आ गया है। शिकायतकर्ता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला कर्मचारी ने जांच समिति की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए उसकी कार्यवाही से किनारा कर लिया है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसे तीन जजों की आंतरिक जांच समिति से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए वह आगे से जांच समिति की कार्यवाही में भाग नहीं लेगी। महिला ने ये बातें प्रेस बयान जारी कर कहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच के लिए तीन न्यायाधीशों की आंतरिक जांच समिति गठित की है। यह समिति आजकल सुनवाई कर रही है। समिति में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे नंबर के वरिष्ठतम न्यायाधीश एसए बोबडे और दो महिला न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी व इंदू मल्होत्रा शामिल हैं। मंगलवार को समिति की तीसरी सुनवाई थी। समिति की सुनवाई के कारण तीनों न्यायाधीश मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नियमित अदालत में नहीं बैठे। तीनों ही दिन समिति की सुनवाई में शिकायतकर्ता महिला पेश हुई थी। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट गेस्ट हाउस में हो रही है।

महिला की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस घटना की मानसिक पीड़ा के कारण उसकी सुनने की क्षमता कम हो गई है। उसने समिति से अनुरोध किया था कि उसे अपने साथ वकील रखने की इजाजत दी जाए, लेकिन समिति ने उसकी मांग ठुकरा दी। कई बार वह ठीक से नहीं सुन पाती कि समिति के न्यायाधीश कोर्ट ऑफिसर को उसका क्या बयान दर्ज करा रहे हैं। उसे उसके बयान की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई। इतना ही नहीं समिति की कार्यवाही की कोई ऑडियो या

वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही है। जब 26 अप्रैल को समिति की पहली सुनवाई हुई उसी दिन समिति के न्यायाधीशों ने उसे बताया कि न तो यह आंतरिक जांच समिति है और न ही विशाखा गाइडलाइन के मुताबिक सुनवाई हो रही है। उसे बताया गया कि यह अनौपचारिक कार्यवाही है। समिति के न्यायाधीशों ने उससे पूरी बात पूछी जो उसने बताई। महिला का कहना है कि वह तीनों न्यायाधीशों की उपस्थिति में बिना किसी वकील के काफी नर्वस और भयभीत महसूस करती है। उल्लेखनीय है कि महिला ने इसके पहले जांच समिति में जस्टिस एनवी रमना के शामिल होने पर आपत्ति उठाई थी। महिला का कहना था कि रमना सीजेआइ के करीबी हैं, इसलिए उन्हें समिति में नहीं होना चाहिए। इसके बाद जस्टिस रमना ने खुद को समिति से अलग कर लिया था और उनकी जगह इंदू मल्होत्रा की नियुक्ति कर दी गई थी।

वकील एमएल शर्मा ने प्रशांत भूषण व अन्य वकीलों पर लगाया साजिश का आरोप

वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीजेआइ पर अमर्यादित आचरण के आरोप लगाने की साजिश में प्रशांत भूषण और कई अन्य वरिष्ठ वकीलों के शामिल होने का आरोप लगाया है। शर्मा ने प्रशांत भूषण के एक ऑनलाइन पोर्टल में दिए गए बयान को आधार बनाते हुए कहा है, भूषण ने स्वीकार किया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी को हलफनामा दाखिल करने में मदद की थी। शर्मा ने इस मामले में एफआइआर दर्ज कर एसआइटी या सीबीआइ से जांच कराने की मांग की है। मंगलवार को शर्मा ने अपनी याचिका सीजेआइ की अदालत के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन सीजेआइ ने किसी और अदालत में मेंशन करने को कहा। इसके बाद शर्मा ने जस्टिस अरुण मिश्रा की कोर्ट में मामला मेंशन किया, लेकिन जस्टिस मिश्रा ने सुनवाई से इन्कार करते हुए किसी वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष मेंशन करने को कहा। इसके बाद शर्मा ने जस्टिस एनवी रमना की अदालत में याचिका मेंशन की, लेकिन जस्टिस रमना ने भी सुनवाई नहीं की और उनसे याचिका जस्टिस एसए बोबडे की अदालत में मेंशन करने को कहा। जस्टिस बोबडे मंगलवार को कोर्ट में नहीं बैठे थे। इस मामले में साजिश के पहलू पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सख्त रुख का प्रदर्शन किया था। कोर्ट ने कहा था कि वह इस पूरे प्रकरण की तह तक जाना चाहता है और किसी को भी न्यायपालिका से खेलने नहीं दिया जाएगा।

महासमर 2019

- जनता सोचे केवल अच्छे भाषण देने वाले से नहीं चलेगा काम : गहलोत ● पेज 5
- मोदी बोले, बबुआ के समाजवाद में टोंटी भी हो गई चोरी ● पेज 5
- बंगाल में मतदान के बाद भी हिंसा जारी, टीएमसी-भाजपा में भिड़ंत ● पेज 6
- उत्तरी हरियाणा की तीन सीटें खोलती हैं दिल्ली के द्वार ● पेज 6

विश्वास न्यूज

फर्जी है हिटलर- पीएम मोदी की वायरल तस्वीर ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल ● पेज 5

अंदर पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार के खिलाफ मांगे पुख्ता सुबूत

कोलकाता : सारधा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआइ ने कोलकाता के पूर्व सीपी राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अपील की। इस पर कोर्ट ने इस बारे में पुख्ता सुबूत पेश करने का आदेश दिया है। यह भी साबित करने को कहा है कि उसकी अपील वास्तविक है। (पेज-3)

अकिहितो की जगह नए सम्राट की ताजपोशी में जुटा जापान

टोक्यो : जापान के सम्राट अकिहितो ने मंगलवार को पारंपरिक रीति-रिवाज से राजगद्दी छोड़ दी। उनके बेटे नारुहितो उनकी जगह लेंगे। बुधवार को नारुहितो की ताजपोशी के साथ ही पारंपरिक रूप से देश में नए युग की शुरुआत होगी। (पेज-13)

दन बदसे

चेन्नई सुपरकिंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स

रात 8:00 बजे से

स्थान : चेन्नई | स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

कमलनाथ सरकार को समर्थन पर करेंगे पुनर्विचार : मायावती

नईदुनिया, भोपाल

- किया ट्वीट-कांग्रेस सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग में भाजपा से कम नहीं
- गुना से अपने प्रत्याशी के कांग्रेस में चले जाने से नाराज हैं बसपा प्रमुख

मध्य प्रदेश में गुना-शिवपुरी से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लोकेंद्र सिंह राजपूत का कांग्रेस में शामिल होना पार्टी सुप्रीमो मायावती को रास नहीं आया। इसे लेकर मायावती ने कमलनाथ सरकार को समर्थन जारी रखने पर पुनर्विचार करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में अभी बसपा विधायक दल को मायावती की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई है। लोकेंद्र सिंह राजपूत ने कहा है कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किसी दबाव में नहीं लिया है।

शिवपुरी में सोमवार को राजपूत ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन करते हुए बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की थी। इस घटनाक्रम के बाद मंगलवार सुबह 11 बजे मायावती ने ट्वीट किया। इसमें उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने में कांग्रेस भी भाजपा से कम नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बसपा प्रत्याशी को डरा-धमकाकर चुनाव में बैठा दिया गया। मायावती ने कहा कि भले ही कांग्रेस ने उनके प्रत्याशी को बैठा दिया हो, लेकिन बसपा अपने चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़कर इसका जवाब देगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को समर्थन जारी रखने पर पुनर्विचार करने की बात भी कही।

राजपूत का रिकॉर्डेड बयान वायरल : मायावती के ट्वीट के बाद लोकेंद्र सिंह राजपूत का रिकॉर्डेड बयान वायरल हुआ है। इसमें लोकेंद्र सिंह राजपूत कह रहे हैं कि वह किसी प्रलोभन या दबाव में कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि मायावती के आरोप निराधार हैं। वह सिंधिया की कार्यशैली, युवाओं को आगे लाने, उन्हें रोजगार देने और विकास कार्य करने से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं।

भिंड के विधायक बोले, माया के फैसले में साथ रहेंगे

भिंड से विधायक और बसपा दल के नेता संजीव सिंह कुशवाह ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मायावती के फैसले के वह साथ रहेंगे। अभी तक उनका मायावती से संपर्क नहीं हुआ है। गौरतलब है कि बसपा विधायक रामबाई पहले से ही कमलनाथ सरकार से नाराज चल रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली से धौनी के साथ लेन-देन का ब्योरा मांगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह से बुधवार को भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धौनी के साथ आर्थिक लेन-देन और समझौते के बारे में बताने के लिए कहा है। क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान 2009 से 2015 के बीच इस फर्म के ब्रांड एंबेस्डर रहे थे। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उसके सामने पूरी तस्वीर पेश की जाए। इसके साथ ही क्रिकेटर के साथ हर लेन-देन और सौदे की व्याख्या भी हो। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि समूह ने पूर्व कप्तान के साथ धोखाधड़ी की होगी, यही कारण है कि कुछ मीडिया घरानों ने इस मामले की खबर दी है।

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने फर्म से बुधवार को यह ब्योरा सौंपने के लिए कहा कि आम्रपाली समूह और धौनी के बीच कितना लेन-देन हुआ। पीठ ने कहा, 'बुधवार तक हम अपने सामने पूरी तस्वीर देखना चाहते हैं। आपके और धौनी के बीच कितने रुपये का लेन-देन हुआ है और उनके साथ आपकी व्यवस्था क्या थी। विज्ञापन के लिए आपने कितना भुगतान किया। हम पूरा ब्योरा चाहते हैं। संभव है कि आपने उन्हें धोखा दिया होगा, नहीं तो मीडिया हाउसों ने हाल ही में इस मामले के बारे में खबर क्यों दी।'

शुरू में शीर्ष कोर्ट द्वारा नियुक्त फोरेंसिक आडिटर पवन अग्रवाल और रवि भाटिया ने पीठ से कहा कि उन्होंने आम्रपाली समूह और मेसर्स रिती स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बीच 24 लेन-देन पाए हैं। यही कंपनी धौनी के विज्ञापन अधिकार की स्वीकृति का प्रबंधन करती है। अग्रवाल ने पीठ को बताया कि एक लेन-देन करीब 25 करोड़ का है, जो आम्रपाली ने धौनी को दिया था। (पेज-2 भी देखें)

आचार संहिता के मामले में मोदी को चुनाव आयोग की क्लीन चिट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कहा, पीएम के भाषण से चुनाव आचार संहिता का नहीं हुआ उल्लंघन

चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को क्लीन चिट दे दी। महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम मोदी ने एक अप्रैल को भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर बयान दिया था और 'संकेत' किया था कि कांग्रेस नेता वहां इसलिए जा रहे हैं, क्योंकि वायनाड में अल्पसंख्यक मतदाता ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री के इस भाषण को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने कहा, 'इस मामले की विस्तार से जांच की और पाया गया कि पीएम मोदी के भाषण में ऐसा कुछ नहीं था जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है।'

सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब : कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के वर्धा समेत कुछ अन्य भाषणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की तरफ से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। आयोग ने वर्धा मामले में क्लीन चिट तो दे दी है, लेकिन सर्वोच्च अदालत में उसे अभी यह जवाब दाखिल करना है। इस मामले में अब गुरुवार को सुनवाई होगी।

कांग्रेस सांसद की याचिका में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर सेना के नाम का दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि इन दोनों नेताओं ने कथित रूप से राजनीतिक प्रचार में सैन्य बलों के नाम का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और आयोग इनके खिलाफ आरोपों को नहीं सुन रहा है। चुनाव आयोग की चुप्पी अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का समर्थन करती है। याचिका में प्रधानमंत्री के नौ अप्रैल के भाषण का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से बालाकोट एयर स्ट्राइक में शामिल सैनिकों और पुलवामा में मारे गए जवानों के नाम पर वोट देने की अपील की थी। 21 अप्रैल को गुजरात के पाटन और राजस्थान के बाड़मेर में दिए गए प्रधानमंत्री के भाषणों का भी याचिका में उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री पर एयर स्ट्राइक और वायु सेना के पायलट के पाकिस्तान में पकड़े जाने भारत के परमाणु हथियार को लेकर बयान देने का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा अध्यक्ष शाह पर घृणा फैलाने वाले द्वेषपूर्ण भाषण देने की शिकायत की गई है।

राहुल के खिलाफ भी है शिकायत : इसके अलावा आयोग कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के जबलपुर में उनके भाषण के दौरान अमित शाह को हत्यारा कहे जाने के शिकायत पर भी सुनवाई कर रहा है। राहुल ने कहा था, हत्या के अभियुक्त भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, वाह क्या शान है।

हाई कोर्ट ने बेदी को सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप से रोका

चेन्नई : मद्रास हाई कोर्ट ने पुदुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी के अधिकारों को लेकर एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बेदी राज्य सरकार के रोजमर्रा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने अदालत के फैसले को लोकतंत्र की जीत करार दिया है। कोर्ट की मदुरै पीठ के जस्टिस आर महादेवन ने गृह मंत्रालय द्वारा जनवरी और जून 2017 में जारी दो आदेशों को भी खारिज कर दिया। (पेज-3)

दुष्कर्म मामले में आसाराम के बेटे नारायण साई को भी उम्रकैद

सूरत : सूरत की अदालत ने आसाराम के बेटे नारायण साई को 2013 के दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। साई के अलावा दो महिलाओं सहित उसके चार सहयोगियों को भी सजा सुनाई गई है। पिता आसाराम पहले ही दुष्कर्म मामले में जोधपुर की जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने साई को सजा सुनाने के साथ पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। (पेज-10)

मसूद अजहर के मुद्दे को 'उचित तरीके से' सुलझाएंगे : चीन

बीजिंग : चीन ने अपने रुख में नरमी दिखाते हुए कहा है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक आतंकी घोषित करने के मुद्दे को 'उचित तरीके से' सुलझा लिया जाएगा। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के अपने मित्र देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से वहां मुलाकात करने के एक दिन बाद चीन ने यह आश्वासन दिया है, लेकिन इसकी कोई समय-सीमा नहीं बताई है। (पेज-13)

अद्भुत

यह किस्से-कहानियों के सच होने जैसी बात है। हिमालय की पहाड़ियों में सैन्य पर्वतारोहियों ने अनोखी तस्वीरें खींची हैं, सेना ने कहा-विशेषज्ञों से कराया जाएगा परीक्षण

भारतीय सेना ने देखे 'हिम मानव' के पदचिह्न

नई दिल्ली, रायटर/प्रेट्र : भारतीय सेना ने हिमालय की पहाड़ियों में हिम मानव येती के पदचिह्न देखने का दावा किया है। सेना का कहना है कि सैन्य पर्वतारोहियों के एक दल ने बर्फ पर पैरों के विशाल निशान देखे। वैज्ञानिक समुदाय येती को मिथक मानता है। हालांकि नेपाल में इससे जुड़ी बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। माना जाता है कि हिम मानव हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच कहीं रहते हैं। सेना का दावा इसलिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहला अवसर है जब किसी सरकारी संस्था की ओर से हिम मानव की मौजूदगी की बात कही गई है।

भारतीय सेना ने तीन तस्वीरों के साथ ट्वीट किया है। तस्वीरें माउंट मकालू के नजदीक स्थित एक कैंप के पास खींची गई हैं। इनमें 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े पदचिह्न देखे जा सकते हैं। मेजर मनोज जोशी के नेतृत्व में 18 सैनिकों का दल दो अप्रैल को माउंट मकालू के पर्वतारोहण पर गया था। वहां नौ अप्रैल को उन्होंने विशाल रहस्यमय पदचिह्न देखे। सेना ने ट्वीट में लिखा, 'पहली बार भारतीय सैन्य पर्वतारोहियों ने मिथकीय जीव येती के पैरों के रहस्यमयी निशान देखे हैं।' सेना ने कहा है कि तस्वीरों और वीडियो को विशेषज्ञों के पास परीक्षण के लिए भेजा जाएगा, जिससे इनके बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। माउंट एवरेस्ट से 19 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित मकालू दुनिया की पांचवीं सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,485 मीटर है। यह मकालू-वरुण घाटी के पास है। येती की तलाश में यहां कई बार शोधकर्ता भी आ चुके हैं।

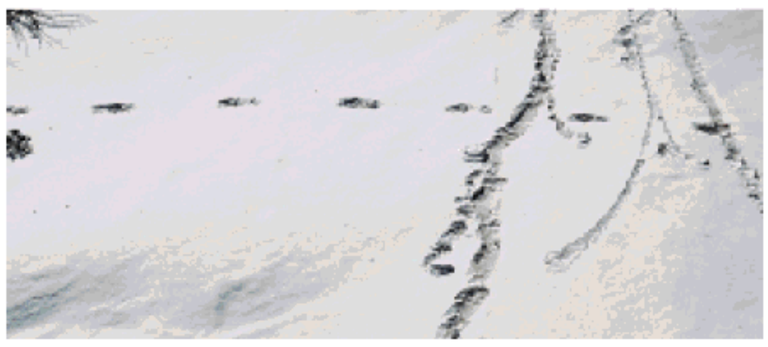

नेपाल में मकालू बेस कैंप के समीप 'हिममानव' के पदचिह्नों की तस्वीर। प्रेट्र

लुभाती रही हैं येती की कहानियां: लंबे बालों वाले विशालकाय हिम मानव की कहानियां दशकों से पर्वतारोहियों को लुभाती रही हैं। सर एडमंड हिलेरी समेत कई पर्वतारोही पहले भी इनके पैरों के निशान देखने का दावा कर चुके हैं। 2008 में पश्चिमी नेपाल में चढ़ाई से लौटे जापानी पर्वतारोहियों ने भी रहस्यमय पदचिह्न देखने का दावा किया था। हालांकि तमाम कैमरों के बावजूद वे येती की कोई तस्वीर नहीं ले सके थे। अमेरिका में दो व्यक्तियों ने कहा था कि उन्हें आधे मानव, आधे वानर के अवशेष मिले थे। बाद में सामने आया कि वे अवशेष रबर से बने गोरिल्ला के थे।

नया नहीं है दुनिया में हिम मानव की उपस्थिति का दावा पेज>>14

येती पर भी राजनीति शुरू

येती के पदचिह्न दिखने के सेना के ट्वीट के बाद इस पर राजनीतिक रंग भी चढ़ने लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, 'भाजपा को अब इस दिशा में सोचना चाहिए कि इसका इस्तेमाल चुनाव में कैसे किया जा सकता है।' वहीं भाजपा नेता तरुण विजय ने सेना के ट्वीट में येती को रहस्यमय जानवर लिखे जाने पर आपत्ति जताई। ट्विटर पर अन्य यूजर्स ने भी येती पर जमकर ट्वीट किए।

ड्रग्स रखने के आरोप में नेस वाडिया को जापान में दो साल की सजा

नई दिल्ली, प्रेट्र/आइएएनएस : वाडिया घराने के वंशज और आइपीएल की किंग्स इलेवन पंजाब टीम के सह-मालिक नेस वाडिया को जापान की एक अदालत ने ड्रग्स रखने के आरोप में दो साल की निलंबित सजा सुनाई है।

'फाइनेंशियल टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, नेस वाडिया को मार्च की शुरुआत में उत्तरी जापान के होक्काइडो द्वीप में न्यू चित्तोस एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब कस्टम अधिकारियों ने उनकी पैंट की जेब से 25 ग्राम ड्रग्स बरामद की थी। नेस वहां छुट्टियां मनाने गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, 20 मार्च को अभियोजन प्रारंभ होने से पहले वाडिया कुछ समय हिरासत में भी रहे थे। सप्पोरो की जिला अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है, जो पांच साल तक निलंबित रहेगी।

अदालत के अधिकारियों ने बताया कि नेस वाडिया ने ड्रग्स रखने की बात स्वीकार की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि यह उनके निजी इस्तेमाल के लिए थी। वाडिया समूह के प्रवक्ता ने बताया कि नेस वाडिया भारत में हैं। उन्हें निलंबित सजा मिली है। इससे नेस वाडिया को अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। निलंबित सजा पाने वाले व्यक्ति को एक निश्चित समयसीमा प्रदान की जाती है। उस अवधि में दोबारा कोई अपराध करने पर उसे वह सजा भुगतनी होती है।

कौन हैं नेस वाडिया

नेस वाडिया उद्योगपति नुस्ली वाडिया के पुत्र और 283 साल पुराने वाडिया समूह के उत्तराधिकारी हैं।

वाडिया समूह का कारोबार काफी बड़ा है। इसमें बांबे डाइंग, बांबे बर्मन ट्रेडिंग, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और बजट एयरलाइन गोएयर प्रमुख हैं। वाडिया की सूचीबद्ध कंपनियों की कुल कीमत 13.1 अरब डॉलर है।